राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः— एफ.6(260)परि/कर/मु/2011/ जयपुर,दिनांकः

कार्यालय आदेश संख्या — 5/2023

विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2023 को अधिसूचना क्रमांक एफ.6(179)परि/कर/मु./2023—24/1 जारी कर विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए ऐमनेस्टी योजना लागू की गई है। इस योजना की क्रियान्विति हेतु रीति एवं शर्तें निर्धारित करते हुए निम्नलिखित दिशा—निर्देश प्रदान किये जाते हैं—

1. यह योजना आर.सी. सरेण्डर वाहनों हेतु दिनांक 30.06.2023 तथा अन्य वाहनों हेतु दिनांक 30.09.2023 तक प्रभावी रहेगी।
2. इस योजना के तहत जारी मांग पत्र में वर्णित राशि/बकाया राशि वाहन स्वामी को मांग पत्र तामील होने पर या बकाया राशि की जानकारी होने पर दिनांक 30.09.2023 तक जमा करवानी होगी। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन स्वामी को किसी प्रकार की छूट देय नही होगी।
3. पूर्व में किसी प्रकार का मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, एकमुश्त कर, अधिभार (यदि कोई देय है) शास्ति, ब्याज इत्यादि जमा करवा दिया गया है तो उस राशि को प्रतिदत्त (Refund) नहीं किया जावेगा।
4. इस योजना में वाहनों को एमनेस्टी का लाभ देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन पर उसके नष्ट होने के पूर्व का किसी प्रकार का चालान एवं ऑडिट पेरा लंबित नहीं हो।
5. इस योजना में नष्ट हो चुके वाहनों को एमनेस्टी का लाभ प्रदान करते समय कराधान अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र योजना की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से निरस्त कर दिये जावें।
6. इस योजना को लागू करते समय निम्नलिखित सम्भावित प्रकरण कराधान अधिकारी के समक्ष आ सकते हैंः—

(क) <u>खुर्दबुर्द/नष्ट हो चुके वाहनों के प्रकरण</u> **:— ऐसे सभी प्रकरण जिनमें वाहन का मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, अधिभार एवं शास्तिध्ब्याज बकाया है तथा वाहन नष्ट अथवा खुर्दबुर्द हो चुका है** या वाहन में बकाया राशि के पेटे वाहन स्वामी की चल/अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है अथवा कुर्क करने की कार्यवाही चल रही है, का निस्तारण भी ऐसे वाहन को नष्ट हुआ मानते हुये किया जा सकेगा। वर्तमान ऐमनेस्टी योजना में वाहन के नष्ट होने/टूटने की तिथि के पश्चात् के देय मोटर वाहन कर, विशेष पथकर, अधिभार, शास्ति एवं ब्याज की छूट का प्रावधान किया गया है। परन्तु ऐसे वाहनों पर वाहन टूटने/नष्ट होने की तिथि, जो कि

कराधान अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी, तक की समस्त बकाया राशि देय होगी।

ऐसे वाहनों में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु वाहन टूटने की तिथि का निर्धारण करना है। वाहन खुर्दबुर्द/नष्ट होने बाबत निर्णय कराधान अधिकारी द्वारा किया जाना है। ऐसे प्रकरणों में निम्न दो प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं:—

1. **<u>वाहन स्वामी द्वारा आवेदन करने पर</u> :—** वाहन स्वामी द्वारा संबंधित कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे जिसमें वाहन के नष्ट होने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। साथ ही वाहन के नष्ट होने बाबत् पर्याप्त सबूत भी प्रस्तुत किए जावें। **यदि आवेदन में नष्ट होने की घोषित तिथि के पश्चात् कोई चालान दर्ज हो तो एमनेस्टी स्कीम में उसे शामिल नहीं किया जावे।** ऐसे सबूत के रूप में वाहन स्वामी द्वारा वाहन की अंतिम बार जमा करवाये गये कर की रसीद, वाहन को कबाड़ी को बेचे जाने संबंधी कोई इकरारनामा अथवा अन्य कोई सबूत जो वाहन स्वामी प्रस्तुत करना चाहें, प्राप्त किया जा सकता है। यदि वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर सही मानते हुए वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है तथा भविष्य में यदि कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जिससे यह साबित होता हो कि उसके वाहन का संचालन विभाग द्वारा वाहन के नष्ट होने की तिथि के निर्धारण के पश्चात् पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा वाहन पर देय समस्त कर मय शास्ति आदि को जमा करवाया जायेगा।

2. **<u>कराधान अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से</u> :—** यदि कराधान अधिकारी को रिकॉर्ड/तथ्यों/साक्ष्यों इत्यादि के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि कोई वाहन नष्ट हो चुका है एवं उसका संचालन होने की कोई भी संभावना नहीं है तो वह स्वप्रेरणा से वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर पर्याप्त प्रमाण एकत्र करने के पश्चात् उन प्रमाणों के आधार पर ऐसे प्रकरणों को ऐमनेस्टी योजना की परिधि में सम्मलित कर सकता है।

उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में प्रस्तुत सबूतों की विश्वसनीयता की जाँच कराधान अधिकारी द्वारा की जावेगी। जाँच करते समय कराधान अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लिया जावेः—

(i) वाहन स्वामी द्वारा ऐसे वाहन का कर अंतिम बार किस तिथि का तथा किस अवधि तक का जमा करवाया गया था। इस हेतु कार्यालय से भी रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा वाहन यदि अन्य जिले में पंजीकृत है तो उस जिले से भी उक्त रिपोर्ट प्राप्त की जावे जहाँ वाहन पंजीकृत था।

(ii) वाहन का संचालन उक्त प्रकार से अंतिम बार जमा करवाये गये कर की अवधि के पश्चात् किया गया है अथवा नहीं, की पुष्टि हेतु वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नष्ट होने की तिथि के पश्चात् के चालानों को चैक करना सुनिश्चित करे। नष्ट होने की घोषित तिथि के निर्धारण से पूर्व सुनिश्चित किया जाये कि वाहन का कोई चालान दर्ज ना हो।

(iii) ऐसे वाहन जिनकी पूर्व की किश्त बकाया हैं, उनकी अंतिम बार किश्त जमा कराने की तिथि के पश्चात खुर्दबुर्द/नष्ट होने की तिथि का साक्ष्य होने पर।

(iv) कार्यालय के परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा पूर्व में वाहन के नष्ट होने के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट अगर कोई हो तो उसे साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है।

(v) ऐसे वाहन, जिनकी बकाया माँग के पेटे वाहन स्वामी की अन्य कोई चल/अचल संपत्ति जब्त/कुर्क की गई है के मामले में अंतिम कर अवधारण अवधि के पश्चात् ऊपर वर्णित तथ्यों में से कोई भी तथ्य, जिसमें वाहन संचालन कर अवधारण अवधि के बाद भी सिद्ध होता हो साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है।

(vi) वाहन को जारी अंतिम फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा, PUCC, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन, वाहन को गैर अस्थाई परमिट जारी होने की तिथि, वित्त पोषक (यदि कोई हो) द्वारा वाहन को नष्ट करने की रिपोर्ट, किसी न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा रोकना या जमानत आदि देने संबंधित तथ्य इत्यादि को आधार मानते हुए वाहन के नष्ट होने की तिथि की पुष्टि की जा सकती है।

(vii) स्टेज कैरिज वाहनों के मामलें में संबंधित मार्ग के वाहन स्वामियों के बयान, नगर पालिका द्वारा जारी स्टैण्ड फीस रसीद इत्यादि लिये जा सकते है।

(viii) **कराधान अधिकारी द्वारा वाहन नष्ट होने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसमें वाहन नाशन तिथि की संतुष्टि का विवरण दिया जायेगा।**

उक्त तिथि के निर्धारण के पश्चात् कराधान अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन के मोटर वाहन कर, एकमुश्त कर, विशेष पथकर एवं अधिभार (अगर कोई देय है) की गणना/कर अवधारण वाहन नष्ट होने की तिथि तक की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में वाहन के नष्ट होने की तिथि के पश्चात् का कर, अधिभार, शास्ति एवं ब्याज ऐसे प्रकरणों में देय नहीं होगा। कराधान अधिकारी कायम की गई कर की राशि का माँग पत्र वाहन स्वामी को जारी करेगा। वाहन स्वामी को उक्त राशि अधिसूचना में वर्णित समयावधि में जमा करवानी होगी।

इस प्रकार से निपटाये गये प्रकरणों का इन्द्राज वाहन के कर खातों /डी.सी. आर. में किया जावेगा तथा अलग से भी ऐसे प्रकरणों का डी.सी.आर. खोला जाकर उसमें भी इसका इन्द्राज किया जावेगा। अन्त में कराधान अधिकारी, जो पंजीयन अधिकारी भी है द्वारा ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही भी की जावेगी, जिसका इन्द्राज R.A. Ledger/VAHAN सॉफ्टवेयर में भी किया जावेगा तथा यदि वाहन अन्य जिले में पंजीकृत है तो कराधान अधिकारी के द्वारा उक्त वाहन

का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु प्रकरण मूल पंजीयन अधिकारी को भिजवाया जा कर वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाना सुनिश्चित करवाया जावेगा जिसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर के वाहन की कर पत्रावली में आवश्यक रूप से संधारित किया जावेगा।

(ख) <u>नष्ट हो चुके वाहनों को छोड़ कर शेष मोटर वाहनों के प्रकरण</u> :– ऐसे वाहन जिन पर दिनांक 31.12.2022 तक का मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर, एकमुश्त कर एवं सरचार्ज संदाय हेतु शोध्य हो चुका है एवं बकाया है, पर बकाया कर को दिनांक 30.09.2023 तक जमा करवाने की स्थिति में दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि के लिए देय कर पर शास्ति एवं ब्याज देय नही होगा। इस संबंध में वाहन स्वामी राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत् सक्षम कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। दिनांक 31.12.2022 की अवधि के बाद का कर एवं उस पर शास्ति, यदि कोई हो, जमा होने पर ही ऐमनेस्टी लाभ देय होगा। वाहन स्वामी द्वारा जमा कराई गयी राशि ऐमनेस्टी योजना के अन्तर्गत देय कर राशि से अधिक है तो यह अतिरिक्त राशि Refund नही की जावेगी।

(ग) <u>दिनांक 24.02.2021 से पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर करा चुके वाहनों के प्रकरण</u> :– ऐसे वाहन जिनके पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 24.02.2021 से पूर्व कार्यालय में समर्पित (Surrender) हो चुके थे तथा वाहन स्वामियों द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र की निर्मुक्ति (Release) हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) में उल्लिखित अवधि से अधिक कालावधि तक समर्पित रहने से देय मोटर वाहन कर एवं उस पर शास्ति/ब्याज की छूट प्रदान की जावेगी यदि वाहन स्वामी दिनांक 30.06.2023 से पूर्व कार्यालय में वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की निर्मुक्ति हेतु आवेदन करे तथा कराधान अधिकारी दिनांक 30.06.2023 तक पंजीयन प्रमाण पत्र निर्मुक्त कर दे।

7. इस ऐमनेस्टी योजना में निम्न श्रेणी के वाहन/परिस्थितियां लाभ के भागी होंगे :–

(i) सभी श्रेणी के पंजीकृत/अपंजीकृत गैर परिवहन यान जिन पर विभिन्न प्रकरणों से संबंधित निर्धारित तिथि (cut off date) तक एक बारीय कर संदाय हेतु शोध्य हो चुका हो एवं बकाया है।

(ii) सभी श्रेणी के पंजीकृत/अपंजीकृत परिवहन यान जिन पर विभिन्न प्रकरणों से संबंधित निर्धारित तिथि (cut off date) तक का कर शोध्य हो चुका हो तथा बकाया है।

(iii) मोटरयानों का कब्जा रखने वाले विनिर्माताओं एवं व्यवहारियों द्वारा देय मोटर वाहन कर, जो संदाय हेतु शोध्य हो चुका हो एवं बकाया हो।

(iv) ऐसे सभी वाहनों, जिनके प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में लंबित है, के वाहन स्वामी चाहे तो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

(v) ऐसे सभी वाहनों, जिनके प्रकरणों में अपील/रिवीजन दायर की गई है, के वाहन स्वामी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए वाहन स्वामियों को ऐमनेस्टी योजना का पूर्ण लाभ देने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मार्ग–दर्शन करेंगे एवं योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं साप्ताहिक रूप से समीक्षा करेंगे।

9. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रत्येक माह भेजे जाने वाले अर्धशासकीय पत्र में जिलेवार ऐमनेस्टी की प्रगति से मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

10. संबंधित कराधान अधिकारी ऐमनेस्टी योजना के प्रचार–प्रसार के साथ विभिन्न वाहनों के विरुद्ध बकाया मांग के संबंध में वाहन स्वामियों को सूचित करेंगे ताकि अधिक से अधिक वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकें।

11. सभी कराधान अधिकारियों को ये निर्देश दिये जाते हैं कि ऐमनेस्टी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट हेतु प्रत्येक वाहन के लिए पृथक–पृथक पत्रावली खोली जायेगी एवं प्रत्येक वाहन के लिए पृथक–पृथक आदेश जारी किये जायेंगे। योजना के अंतर्गत दी गई छूट का इन्द्राज मूल डी.सी.आर. में भी किया जावे। इसके अतिरिक्त इस योजना में शामिल वाहनों के लिए अलग से भी डी.सी.आर. संधारित किया जावें। प्रत्येक माह के अंत तक दी गई छूट का विवरण संलग्न प्रोफोर्मा में आगामी माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से सांख्यिकी शाखा/कर शाखा को भिजवाया जावे। कराधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में नष्ट हो चुके वाहनों के कोई प्रकरण ऐमनेस्टी योजना की समाप्ति के बाद बकाया नहीं रहें।

12. एमनेस्टी योजना की निरन्तरता में, आदेश को अधिक सुस्पष्टता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय एवं क्रियान्वयन योग्य हैं–

(i) अधिसूचना संख्या एफ.6(179)परि/कर/मु/2023.24/1 दिनांक 10.02.2023 से स्पष्ट है कि वाहन का 31.12.2022 तक का संपूर्ण बकाया कर तथा दिनांक 31.12.2022 के बाद का देय कर एवं उस पर देय शास्ति/ब्याज की राशि दिनांक 30.09.2023 तक जमा होने पर दिनांक 31.12.2022 तक के बकाया कर पर देय समस्त शास्ति/ब्याज की शत–प्रतिशत छूट होगी।

(ii) शास्ति/ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले वाहन का दिनांक 31.12.2022 के पश्चात का कोई कर बकाया हो तो कर तथा उस कर पर देय शास्ति को 30.09.2023 तक जमा करवाने पर ही उपरोक्त के अनुसार देय शास्ति की छूट होगी।

(iii) यदि किसी वाहन पर दिनांक 31.12.2022 से पूर्व का कोई कर बकाया नहीं हो परन्तु पूर्व की कोई शास्ति बकाया हो तो दिनांक 31.12.2022 के पश्चात का कर एवं उस पर देय शास्ति/ब्याज की राशि जमा कराने पर दिनांक 31.12.2022 से पूर्व की बकाया शास्ति/ब्याज की राशि की शत–प्रतिशत छूट होगी।

(iv) ऐसे वाहन जिनके पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 24.02.2021 से पूर्व कार्यालय में समर्पित थे तथा वाहन स्वामी के आवेदन बिना कराधान अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से निर्मुक्त कर दिये गये थे, भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।

(v) ऐसे वाहन जो खुर्दबुर्द/नष्ट हो चुके हैं एवं महालेखाकार/आतंरिक निरीक्षण में आक्षेपित हैं, उन्हें एमनेस्टी योजना में तब ही सम्मिलित किया जायेगा जबकि ऑडिट की प्रथम अनुपालना में वाहन संचालन की अंतिम तिथि महालेखाकार/आतंरिक निरीक्षण को विधिसम्मत साक्ष्यों सहित सूचित कर दी गई हो।

(vi) इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छूट की राशि या उसका भाग यदि पूर्व में जमा है तो किसी भी परिस्थिति में जमा राशि का रिफण्ड/समायोजन नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे, आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया लाल स्वामी)
परिवहन आयुक्त

Document certified by Kanhaiya Lal Swami <kanhaiyalalias@gmail.com>.
Digitally Signed by null
Date :17-02-2023 05:34:29